

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेयी,
विशेष सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2018

विषय - चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत पीएमसी सेवाएं लेने एवं डीपीआर प्रीपेशन मद में केन्द्रांश व राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-514/10/30/76/एक/2018-19, दिनांक 08 मई, 2018 व पत्र संख्या-518/10/30/76/एक/2018-19 दिनांक 08 मई, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु रु० 3750.00 प्रति आवास की दर से सामान्य वर्ग के 48291 लाभार्थियों हेतु केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में रु० 181091250.00 (रूपये अठारह करोड़ दस लाख इक्यानबे हजार दो सौ पचास मात्र) एवं प्रोजेक्ट मानीटरिंग कन्सल्टेन्सी (पीएमसी) की सेवाएं लेने हेतु रु० 6875.00 प्रति आवास की दर से सामान्य वर्ग के 25768 लाभार्थियों हेतु केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में रु० 177155000.00 (रूपये सत्रह करोड़ इकहत्तर लाख पचपन हजार मात्र) अर्थात् उक्त दोनों मदों में केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में कुल रु० 358246250.00 (रूपये पैंतीस करोड़ बयासी लाख छियालीस हजार दो सौ पचास मात्र) की धनराशि, निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मद/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा एवं केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी भारत सरकार के पत्रों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-162/2016/623/69-1-2016-14(139)/2015टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2016 व शासनादेश संख्या-866/2016/2916/69-1-16-14(139)/2015टीसी, दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 तथा उक्त योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य सुसंगत शासनादेशों के अनुरूप दिशा-निर्देशों/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- उक्त धनराशि आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद के लिए है, प्रत्येक दशा में उसी कार्य या मद पर व्यय किया जायेगा।

प्रीपेशन / कार्यभार प्रविधि

क्रमशः.....2

27/7/18

5. योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली धनराशि (प्रत्येक किश्त) के पूर्व निर्मित किये जा रहे आवासों के फोटोग्राफ्स की जियो-टैगिंग सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त परियोजनाओं/निर्मित किये जा रहे आवासों में उपयुक्त आपदा प्रतिरोध विशेषताओं को भी सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. परियोजनाओं/आवासों के निर्माण में एन0बी0सी0 के नियमों/प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी कार्य/मद के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य न होगा। अन्यथा की स्थिति में जी0एफ0आर0-2005 में दी गई व्यवस्थानुसार स्वीकृत धनराशि को व्याज सहित भारत सरकार को वापस किया जायेगा।
8. सूडा/डूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सन्दर्भ में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि को कोषागार से तात्कालिक आवश्यकता होने पर आहरित किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से पीएलए अथवा बैंक खातों में रक्षित नहीं की जायेगी।
10. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. उक्त मद में अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/विशेष सचिव अथवा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में यथा कलेन्डर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेख से अवश्य करायेंगे।
2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाएँ-051-निर्माण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0104-प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास(शहरी) मिशन (के.60/रा.40-के.)-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या-ई-8-2152/दस-2018, दिनांक 18 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(अनिल कुमार बाजपेयी)
विशेष सचिव।

संख्या-44/P/2018/853(1)/69-1-18-14(129)/2016टीसी तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-1/4, 30प्र0 शासन।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।